BA/4636

03.12.2025

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से प्रकरण अंतरित होकर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी विजेन्द्रसिंह रावत द्वारा श्री विष्णुकुमार सोनी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/शासन द्वारा श्री अभिजीतसिंह राठौर, लोक अभियोजक सहित विवेचक ए.सी.पी. श्री विनोद कुमार दीक्षित उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 द.प्र.स./धारा 482 बी.एन.एस.एस. पर तर्क हेतु नियत है।

थाना एम.जी.रोड से केस डायरी मय प्रतिवेदन के प्राप्त।

उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 05.12.2025 को पेश हो।

प्रकाश कसेर
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर

05.12.2025 जमानत याचिकाकर्ता **विजेन्द्र सिंह रावत** की ओर से श्री वी.के. सोनी अधिवक्ता।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री संजय शर्मा अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत **प्रथम अग्रिम** जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत **धारा–438 द.प्र.स./482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023** पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये।

आरक्षी केन्द्र एम.जी. रोड़ इंदौर के अपराध कमांक 155/2021 धारा–420, 467, 468, 471, 472, 120–बी की केस डायरी प्राप्त, का अवलोकन किया गया।

जमानत याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है, एसे एम.जी. रोड़ इंदौर म.प्र द्वारा अपराध में रंजिशन झूठा आलिप्त किया गया है, पुलिस थाना महात्मा गांधी रोड़ इंदौर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के फिराक में है। उक्त अपराध संज्ञेय अपराध है। याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी की मजबूत आशंका एवं संभावना को दृष्टिगत रखते हुये याचिकाकर्ता द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर करने के लिये निर्देश प्राप्त करने हेतु उक्त आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता का अपराध में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। याचिकाकर्ता एक स्वच्छ छवि का नागरिक है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों एवं मान्यताओं का सादर पालन करता

Scanned with OKEN Scanner

है। याचिकाकर्ता उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता था, परंतु याचिकाकर्ता ने जिसके विरूद्ध शिकायत किया था, उस व्यक्ति के दबाव व प्रभाव में आकर व आपस में सांठगांठ कर पुलिस थाना गांधी रोड़ इंदौर द्वारा याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है। याचिकाकर्ता को यदि उपरोक्त अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तो उसके सम्मान व प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी तथा गावं व समाज में अनायास बदनामी होगी। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संतोष वर्मा को पूर्व में ही जमानत का लाभ दिया जा चुका है। याचिकाकर्ता पर आरोपित अपराध प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संतोष वर्मा पर आरोपित अपराध से अधिक नहीं है। याचिकाकर्ता न्यायिक सेवा में सेवारत है, जिसके कहीं भागने या फरार होने की कोई आशंका नहीं है। याचिकाकर्ता किसी भी तरह से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर रहेगा। अतः याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत याचिकाकर्ता की ओर से जमानत आवेदनपत्र के समर्थन में आवेदक ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह लेख किया गया है कि उसकी ओर से अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र है, इसके अलावा इस आशय का कोई अन्य आवेदन न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित अथवा न ही निर्णित है।

राज्य की ओर से एजीपी द्वारा जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुये जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त अग्रिम याचिका के विरूद्ध कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, नगरीय, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आरक्षी केन्द्र लसुड़िया के अपराध प्रकरण कमांक–851/2016 अंतर्गत भा.द.सं. की धारा–323, 294, 506 में उक्त प्रकरण के अभियुक्त संतोष वर्मा को लाभ पहुंचाने के लिये जमानत याचिकाकर्ता ने एक कूटरचित दस्तावेज–निर्णय तैयार किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उक्त अपराध प्रकरण कमांक 851/2016 के अभियुक्त संतोष वर्मा ने दिनांक 07.10.2020 को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, परंतु जमानत याचिकाकर्ता के न्यायालय के न्यायलयीन सेक्शन कर्मचारी के अनुसार उक्त कूटरचित निर्णय की मात्र छायाप्रति नकल सेक्शन में प्राप्त हुयी थी, किंतु फाइल प्राप्त नहीं हुयी थी एवं उक्त कूटरचित निर्णय की सत्यापित प्रति दिनांक 07.10.2020 को ही जमानत याचिकाकर्ता द्वारा अभियुक्त संतोष वर्मा को न्यायालय के बाहर प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 14.10.2020 को जमानत याचिकाकर्ता ने अपने मोबाइल कमांक–78282–57637 से अभियोजन डीपीओ अकरम शेख को उसके मोबाइल नंबर 94250–34812 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अभियुक्त संतोष वर्मा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण कमांक 851/2016 में विधिक अभिमत भेजने के संबंध में चर्चा हेतु न्यायालय बुलवाया, जहां पर अभियोजन डीपीओ अकरम शेख ने उक्त कूटरचित राजीनामा निर्णय एवं उक्त प्रकरण के आहत/प्रार्थीया हर्षिता के कथन अपने मोबाइल नंबर 94250–34812 से स्केन कर अपने अभिमत में उक्त आपराधिक प्रकरण "अपराध अपील योग्य नहीं होना" लेख किया था, जिसे कि अभियुक्त संतोष वर्मा सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया, जिसके आधार पर अपराध प्रकरण कमांक 851/2016 के अभियुक्त संतोष वर्मा को "आई.ए.एस." केडर अवार्ड हो गया, जिसकी जानकारी आपराधिक प्रकरण कमांक 851/2016 के आहत/प्रार्थीया हर्षिता अग्रवाल को प्राप्त होने पर उसने जमानत याचिकाकर्ता के न्यायालय से उक्त कूटरचित दस्तावेजों–निर्णय की जानकारी प्राप्त करने हेतु आर.टी.आई. आवेदनपत्र लगाया गया, किंतु उक्त नकल जमानत याचिकाकर्ता द्वारा अपने न्यायालय से प्रदान नहीं किया गया एवं जमानत याचिकाकर्ता ने

Scanned with OKEN Scanner

अपराध प्रकरण कमांक 851/2016 के प्रार्थीया/आहत हर्षिता के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 420, 467, 4638, 471 के संबंध में अपराध पंजीयन हेतु दिनांक 03.03.2021 को आदेश जारी कर दिये, जिसमें आहत हर्षिता को अग्रिम जमानत मिलने के पश्चात् उसने पुनः दिनांक 02.06.2021 को सामान्य प्रशासन विभाग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने जमानत याचिकाकर्ता के न्यायालय के उक्त कूटरचित निर्णय की नकल हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जमानत याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में साशय दिनांक 27.06.2021 को अपराध कमांक 155/2021 अंतर्गत भा.द.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध कराया।

आगे पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन यह है कि दिनांक 03.03.2021 को अभियोजन डीपीओ अकरम शेख ने उक्त कूटरचित निर्णय के बावजूद ऑनलाइन सी.आई.एस. में प्रकरण लंबित दिखने के संबंध में जमानत याचिकाकर्ता से मोबाइल पर चर्चा की, जिसमें कि जमानत याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसके न्यायालय के कई प्रकरण सीआईएस में लंबित है, उक्त दोनों के वॉइस सेम्पल का मिलान भी एफ.एस.एल द्वारा प्रमाणित हो चुका है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह तथ्य भी उल्लेखित है कि प्रकरण के संबंध में जमानत याचिकाकर्ता के कोर्ट रूम नंबर 25 से आवंटित कम्प्युटर जप्त कर हार्ड डिस्क की जांच करायी जा चुकी है।

पुलिस का जमानत याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत का विरोध इन आधारों पर किया गया है कि जमानत याचिकाकर्ता वर्तमान में वरिष्ठ खंड बुढ़ार जिला शहडोल में पदस्थ होते हुये पूर्व में जिला बीना में पदस्थ था, जिन्हें कि कई बार लिखकर मोबाइल प्राप्त करने का प्रयास किया गया , किंतु जमानत याचिकाकर्ता द्वारा उक्त मोबाइल पुलिस को प्रदान नहीं किया गया, जो कि प्रकरण में एक अहम साक्ष्य है। यदि जमानत याचिकाकर्ता को जमानत का लाभ दिया जाता है तब वह निश्चित ही उक्त मोबाइल को नष्ट कर देगा एवं अन्य साक्षियों को भी प्रभावित करेगा। प्रकरण में जमानत याचिकाकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। अतः जमानत याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जावे।

उक्त संबंध में उभयपक्षों के तर्क विस्तृत में सुने गये।

प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेखों से भी यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा जमानत याचिकाकर्ता के न्यायालय से कम्प्युटर जप्त कर उक्त कम्प्युटर से संबंधित डाटा प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त तत्संबंध में तत्कालीन अभियोजन डीपीओ अकरम शेख एवं याचिकाकर्ता के मध्य हुये व्हाट्सएप चेटिंग के संबंध में भी मोबाइल डाटा रिकवर किया जा चुका है। इसके अलावा अभिकथित घटना से संबंधित जमानत याचिकाकर्ता के टावर लोकेशन के संबंध में भी पुलिस विभाग की ओर से साक्ष्य एकत्रित किया जा चुका है। यहां तक कि अभिकथित कूटरचित राजीनामा निर्णय पर जमानत याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर का मिलान भी उनके पूर्व हस्ताक्षर से किया जा चुका है।

वस्तुतः जमानत याचिकाकर्ता के अग्रिम जमानत याचिका का विरोध पुलिस द्वारा मुख्यतः इस बिन्दु पर किया गया है कि पुलिस द्वारा जमानत याचिकाकर्ता से कई बार पत्र लिखकर उससे अभिकथित मोबाइल प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जो कि जमानत याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें प्रदान नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त अभिकथित कूटरचित निर्णय एवं कथन आदि की मूल प्रति भी जमानत याचिकाकर्ता के कब्जे में है एवं यदि जमानत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जाती है तब उसके द्वारा उक्त मोबाइल एवं कूटरचित निर्णय को नष्ट किये जाने की कोई संभावना है। अतः जमानत याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत का लाभ न दिया जावे।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त संबंध में प्रकरण के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण से संबद्ध अपराध वस्तुतः वर्ष 2020 का है। उक्त मोबाइल से संबंधित डाटा एवं व्हाट्सएप चेटिंग आदि को पुलिस द्वारा अभियोजन डीपीओ अकरम शेख के मोबाइल से निकाला जा चुका है। जहां तक अभिकथित कूटरचित निर्णय की प्रति का संबंध है, उक्त दस्तावेज को भी पुलिस द्वारा न्यायालय से जप्त कम्प्युटर के माध्यम से सायबर सेल की सहायता से प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यदि एक क्षण के लिये यह माना भी जावे कि उक्त मोबाइल एवं अभिकथित निर्णय जमानत याचिकाकर्ता के आधिपत्य से जप्त नहीं होता है तब भी पुलिस द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 के आलोक में द्वितीय साक्ष्य के माध्यम से उक्त समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित कराया जा सकता है।

यह अवश्य है कि पुलिस विभाग को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के Memorandum No. 105/CJ-I/259,CJ-II/1228, Jabalpur, Dated 20-09-2021 के माध्यम से जमानत याचिकाकर्ता के विरूद्ध अन्वेषण की अनुमति मिल चुकी है, परंतु उक्त ज्ञापन के आलोक में जमानत याचिकाकर्ता के अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुति के अधिकार को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

प्रकरण के अंतिम गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का परिणाम भविष्य में जो भी आये, वर्तमान में जमानत याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पुलिस विभाग को कोई भी नये तथ्य मिलने की संभावना नहीं है, जिसके संबंध में उपर ही लिखा जा चुका है।

जमानत याचिकाकर्ता वस्तुतः एक न्यायिक अधिकारी है, जिसके द्वारा वर्तमान प्रकरण के पश्चात्वर्ती प्रक्रम में भी अपने न्यायिक कार्य का संपादन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में उसके कहीं भी पलायन होने की संभावना नहीं है। अतः उसकी सामाजिक स्थिति को देखते हुये उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना सद्भाविक प्रतीत होता है।

तथापि यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत **AIR 2020 Supreme Court 831 " Sushila Aggarwal & Ors. v. State (NCT of Delhi) & Anr.** की कंडिका 85 (h) अवलोकन योग्य है, जिसके अनुसार "It is open to the police or the investigating agency to move the court concerned, which granted anticipatory bail, in the first instance, for a direction under Section 439 (2) to arrest the accussed, in the event of violation of any term, such as absconding, non-cooperating during investigation, evasion, intimidation or inducement to witnesses with a view to influence out come of the investigation or trial, etc. The court- in this context is the court which grants anticipatory bail, in the first instance, according to prevailing authorities."

अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में प्रकरण के अंतिम गुण–दोषों पर विचार किये बिना जमानत याचिकाकर्ता का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा–438 द.प्र.स./482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023** को अनुज्ञात कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि जमानत याचिकाकर्ता को सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगरीय जिला इंदौर (म.प्र.)/आरक्षी केन्द्र द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तब यदि याचिकाकर्ता की ओर से 50,000/– रुपए की सक्षम प्रतिभूति एवं इतने ही राशि का बंधपत्र संबंधित गिरफ्तार करने वाले सक्षम पुलिस अधिकारी की संतुष्टि योग्य प्रस्तुत की जाती है, तब उसे निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रिहा किया जावे–

(1) जमानत याचिकाकर्ता प्रकरण के अन्वेषण में अन्वेषण अधिकारी को पूर्ण सहयोग करेगा एवं अन्वेषण अधिकारी के पूछताछ हेतु वह अन्वेषण

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(2) जमानत याचिकाकर्ता किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।

(3) जमानत याचिकाकर्ता किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(4) यदि जमानत याचिकाकर्ता द्वारा अन्वेषण के दौरान असहयोगात्मक रवैया अपनाई जाती है तब पुलिस अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कराने हेतु न्यायालय में अग्रसर हो सकेगा।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि सुविधा के दृष्टिकोण से सत्र प्रकरण कमांक 662/2021 ''म.प्र. राज्य विरूद्ध संतोष वर्मा'' के प्रकरण में संलग्न की जावे तथा आदेश की एक प्रति केस डायरी के साथ संलग्न कर केस डायरी एम.जी. रोड़ थाना इंदौर को वापस की जावे।

जमानत आवेदनपत्र का परिणाम अंकित कर सी.आई.एस./पंजी में दर्ज कर, उससे कम किया जाकर अभिलेखागार में निक्षिप्त किए जाने बाबत् सम्प्रेषित किया जावे।

05.12.2025

(प्रकाश कसेर)
षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (प्रकाश कसेर)
षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म.प्र.)